(234)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
समक्ष आशीष श्रीवास्तव,
सदस्य

यह निगरानी प्रकरण 2362–दो/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 17.07.2012 पारित द्वारा कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 150/अ–6/09–10

1– रामसजीवन तनय वासुदेव ब्रा. मृतक वारिसगणः–

अ कुसुमकली पत्नी स्व0 रामसजीवन ब्रा0 उम्र 55 वर्ष

ब बिजेन्द्र प्रसाद उम्र 36 वर्ष

स धर्मेन्द्र प्रसाद उम्र 30 वर्ष

द देवेन्द्र प्रसाद उम्र 24 वर्ष

इ बालेन्द्र प्रसाद उम्र 20 वर्ष

पुत्रगण स्व0 रामसजीवन ब्रा0

2 नारेन्द्र कुमार उम्र 45 वर्ष

3 महेन्द्र कुमार उम्र 42 वर्ष

4 रावेन्द्र कुमार उम्र 33 वर्ष

सभी निवासी ग्राम जितौही तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0

आवेदकगण....

विरूद्ध

1 श्रीमती प्रेमवती पत्नी महेन्द्र मिश्रा

उम्र 51 वर्ष निवासी ग्राम पतेरी तहसील हुजूर जिला रीवा।

2 मध्य प्रदेश शासन

3 सुरेन्द्र प्रसाद शर्मा तनय रामाधार ब्रा0

उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम जितौही तहसील हुजूर जिला रीवा म0प्र0।

अनावेदकगण

निग.प्र.क्र. 2362-दो/12

श्री अरबिन्द पाण्डेय, आवेदक अधिवक्ता
श्री एस0 के0 अवस्थी, अनावेदक क.1 अधिवक्ता

::आ दे श::
(आज दिनांक 31.03.2016 को पारित)

यह निग प्रकरण कमांक 2362–दो/12 रा. मं. में म0प्र0 भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे संक्षेप में बाद में केवल संहिता कहा जावेगा) की धारा 50 के अंतर्गत कलेक्टर रीवा के प्रकरण कमांक 150/स्व0निग0/09–10 में पारित आदेश दिनांक 17.7.2012 के विरूद्ध संस्थित हुआ है।

2 प्रकरण का संक्षेप इस प्रकार है–

अनावेदिका कमांक 1 प्रेमवती के पक्ष में ग्राम मंडवा तहसील हुजूर जिला रीवा की भूमि स. नं. 1561, 1562 कुल रकवा 2.562 एकड़ का नामांतरण वसीयत का आधार लेते हुए नामांतरण पंजी कमांक 24 वर्ष 1986'87 दिनांक 30.06.87 दर्ज किया गया।

चूंकि इस ग्राम की नामांतरण पजी कमांक 24 दिनांक 30.06.87 के आदेश से अन्य भूमियां स. नं. 248 से 253, 255, 256 का नामांतरण जरिए हिस्सा बॉट रामजियावन आदि के सम्बन्ध में किया गया था, इसलिए स्व:–

(P.T.O.)

प्रेरणा निगरानी में प्रकरण संस्थित करके स नं १५६१, १५६२ के सम्बन्ध में हुए इन्द्राज को निरस्त किये जाने बाबत कारण बताओ सूचनापत्र अनावेदिका-१ को जारी हुआ. किन्तु कलेक्टर रीवा ने उनके प्र क्र २४/अ-६/स्व-निग/९८-९९ को आदेश दि १०-५-०४ से यह लिखते हुए समाप्त कर दिया कि चूँकि स्व-प्रेरणा निगरानी में जिन खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया था उनका सम्बन्ध अनावेदिका से नहीं है अतः प्रकरण प्रचलनयोग्य न होने के कारण समाप्त किया जाता है.

इसके विरुद्ध आवेदकपक्ष ने अपर आयुक्त रीवा के समक्ष निगरानी की जहाँ प्र क्र १६४/निग/०५-०६ के आदेश दि २३-३-१० से कलेक्टर का आदेश निरस्त करते हुए प्रकरण नायब तहसीलदार से प्रतिवेदन ले जाँच करते हुए और पक्षकरों को सुनवाई का अवसर देते हुए विधिसम्मत आदेश पारित करने हेतु कलेक्टर को प्रत्यावर्तित किया गया.

तदुपरांत कलेक्टर रीवा ने आक्षेपित आदेश दि १७-७-१२ पारित किया जिसमे उन्होंने यह निष्कर्ष निकला कि उक्त ग्राम मंडवा की उक्त वर्ष १९८७ की दो नामांतरण पंजीयन हैं, जिसके प्रथम भाग में क्र १ से २७ तक प्रविष्टि दर्ज हैं और द्वितीय भाग में क्र १ से ३० तक नामांतरण की प्रविष्टि की गई हैं, और प्रथम भाग के क्र २४ पर अनावेदिका के नाम वसीयत के आधार पर नामांतरण प्रमाणित हुआ है. यह लिखते हुए उन्होंने आगे यह निष्कर्ष निकाला कि पूर्व की चूँकि स्व-प्रेरणा निगरानी में जिन खसरा नम्बरों का उल्लेख करते हुए कारण बताओ सूचनापत्र जारी किया गया था उनका सम्बन्ध अनावेदिका से नहीं है अतः आदेश दि १०-५-०४ से

उस प्रकरण को यह लिखते हुए समाप्त कर दिया जाना कि प्रकरण प्रचलनयोग्य न होने के कारण समाप्त किया जाता है, सही है.

कलेक्टर के इसी आदेश के विरुद्ध रा मं में यह निगरानी संस्थित हुई है.

3] मैंने प्रकरण में उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्क सुने.

आवेदकपक्ष के अधिवक्ता के तर्क हैं कि (१) वसीयत के आधार पर नामांतरण पंजी पर नहीं किया जाना चाहिए था बल्कि तहसील में वसीयत को विधिवत प्रमाणित करने के बाद किया जाना चाहिए था, (२) दोनों विषयांकित पंजियों में समान क्र २४ पर ही समान दि १५-६-८७ में दो अलग अलग नामान्तरण होना सामान्य बात नहीं है जिस वजह से अनावेदिका के पक्ष में पंजी पर हुआ नामान्तरण संदिग्ध हो जाता है, (३) एक ही ग्राम में एक साथ दो पंजियां प्रचलित होना मान्य किये जाने योग्य बात नहीं है, यदि एक ही वर्ष में दो पंजीयां एक ग्राम में लगनी भी थीं तो वे एक के बाद एक निरंतर सरल क्रमांकों के साथ लगनी चाहिए थीं, (४) अनावेदिका द्वारा संदर्भित नामांतरण पंजी की प्रविष्टि में आवेदक का नाम बालेन्द्र शेखर मिश्र लिखा है किन्तु यह व्यक्ति कौन है स्पष्ट नहीं किया गया है, और (५) कलेक्टर के आक्षेपित आदेश से प्रकरण के समस्त बिंदु निराकृत नहीं हुए हैं अतः वह स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है.

अनावेदकपक्ष के अधिवक्ता के तर्क हैं कि (१) कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि दो नामांतरण पंजियां हैं, (२) यदि आवेदक चाहें तो सिविल वाद के माध्यम से अपने स्वत्व का विनिश्चयन करा सकते हैं, और (३) वसीयत

के प्रमाणीकरण का बिंदु जब आवेदक ने निगरानी मेमो में नही उठाया तो वे उसे तर्क में नहीं उठा सकते.

४] तर्कों के प्रकाश में मैंने अभिलेख का परिशीलन किया. इस सबके बाद मैं स्वयं को आवेदक के इन तर्कों से सहमत पाता हूँ कि यदि एक ही वर्ष में एक ग्राम में दो नामांतरण पंजीयां लगनी थीं तो वे एक के बाद एक निरंतर सरल क्रमांकों के साथ लगनी चाहिए थीं, और दोनों विषयांकित पंजियों में समान क्र २४ पर ही समान दि १५-६-८७ में दो अलग अलग नामान्तरण होने और एक ही ग्राम में एक साथ दो पंजियां प्रचलित होने के बिन्दुओं का कलेक्टर के आक्षेपित आदेश से समाधान नहीं हुआ है.

अनावेदक की ओर से यह कहा जाना कि कलेक्टर के आदेश से स्पष्ट है कि दो नामांतरण पंजियां हैं यहाँ वाद के बिंदु का समाधान नहीं करता, और उनके द्वारा यह कहा जाना कि यदि आवेदक चाहें तो सिविल वाद के माध्यम से अपने स्वत्व का विनिश्चयन करा सकते हैं, भी यहाँ महत्व का बिंदु नहीं है क्योंकि यदि कोई ऐसे वाद के बिंदु होंगे जिनमे स्वत्व के बिंदु के निराकरण की आवश्यकता होगी तो सिविल न्यायालय जाने का रास्ता पक्षकारों के सामने रहेगा ही.

इसके अलावा अनावेदक की ओर से यह कहा जाना कि वसीयत के प्रमाणीकरण का बिंदु जब आवेदक ने निगरानी मेमो में नही उठाया तो वे उसे तर्क में नहीं उठा सकते, से मैं पूर्णतः सहमत नहीं हूँ क्यूंकि आवेदक का यह तर्क कि वसीयत के आधार पर नामांतरण पंजी पर नहीं किया जाना चाहिए था बल्कि तहसील में वसीयत को विधिवत प्रमाणित करने के बाद

किया जाना चाहिए था, यहाँ वसीयत की वास्तविकता के बिंदु से प्रथमतः सम्बन्धित नहीं है बल्कि किसी वसीयत का हवाला लेते हुए पंजी पर किये गए नामांतरण की प्रामाणिकता और वास्तविकता से प्रथमतः सम्बन्धित है, जो यहाँ मुख्य विचार का विषय है. इसी तारतम्य में अनावेदिका द्वारा संदर्भित नामांतरण पंजी की प्रविष्टि में आवेदक का नाम बालेन्द्र शेखर मिश्र लिखा जाने किन्तु यह व्यक्ति कौन है स्पष्ट नहीं किया जाने की बात का निराकरण भी किया जा सकता है.

इस सबके अतिरिक्त अभिलेख के परिशीलन से चूँकि यह भी प्रतीत हो रहा है कि अनावेदिका के पक्ष में पंजी पर हुए विवादित नामांतरण में क्रमांक २४ जहाँ लिखा है वहां ऊपरलेखन (overwriting) है, अतः इस बिंदु प्र समाधान की आवश्यकता है. इस पंजी पर हुए वसीयत का आधार लेकर नामांतरण किये जाने के पूर्व सम्बन्धित आराजी १५६१, १५६२ के अन्य किन्ही संभव भू-धारियों या विधिक उत्तराधिकारियों को पहचानने और नोटिस दिए जाने के सम्बन्ध में भी क्या कार्यवाही की गई, इस बिंदु पर भी समाधान की आवश्यकता है. इश्तेहार यदि कोई जारी हुआ तो किस प्रकार हुआ इस सम्बन्ध में भी परिक्षण किया जान चाहिए. जिस आधार पर यह नामांतरण हुआ वह वसीयत थी, दानपत्र या कुछ और, इस बिंदु को भी नहीं देखा गया. और अनावेदिका के पक्ष में नामांतरण की कार्यवाही पंजी पर ही क्यों कर ली गई, न्यायालय में पूर्ण प्रक्रिया का पालन करके क्यों नहीं की गई, इस महत्वपूर्ण बिंदु पर भी कोई विश्लेषण नहीं किया गया. यदि एक ही वर्ष में एक ग्राम में दो नामांतरण पंजीयां लगनी थीं तो वे एक के बाद एक निरंतर सरल क्रमांकों के साथ क्यों नहीं लगीं, और दोनों विषयांकित पंजियों में समान क्र २४ पर ही समान दि १५-६-८७ में दो अलग अलग

नामान्तरण क्यों हुए. जैसा कि मैं गत पैरा में लिख चूका हूँ, यहाँ ये सभी बिंदु किसी दस्तावेज़ या उक्त कथित वसीयत की प्रामाणिकता और वास्तविकता से ज्यादा और उससे पहले, किसी वसीयत का हवाला लेते हुए पंजी पर किये गए नामांतरण की प्रामाणिकता और वास्तविकता के बिंदु के निराकरण से सम्बन्धित है, अतः इन सभी बिन्दुओं का निराकरण कर उन्हें विचार में लेते हुए निष्कर्ष निकले जाना इस प्रकरण में सुसंगत है. वैसे भी कलेक्टर न्यायालय का उक्त प्रकरण, अनावेदिका के हित में हुए उक्त नामांतरण के गलत होने के संदेह के आधार पर स्व-प्रेरणा से निगरानी में मूलतः लिया हुआ प्रकरण है, अतः उसका निराकरण पूर्णतः समाधानकारक स्वरूप में इस प्रकार अवश्य किया जाना चाहिए ताकि जिन भी बिन्दुओं से मूल कार्यवाही पर संदेह प्रथमतः उत्पन्न हुआ था वे सभी भली भांति निराकृत हो जाएं,

५] उपरोक्त बिन्दुओं और विवेचना के प्रकाश में कलेक्टर रीवा के आक्षेपित आदेश दि १७-७-१२ को समुचित रूप से समाधानकारक नहीं पाता हूँ और उसे निरस्त करते हुए यह निगरानी स्वीकार करता हूँ.

साथ ही मैं कलेक्टर, रीवा को यह निर्देश देता हूँ कि वे अपने न्यायालय का प्र क्र १५०/अ-६/स्व-निग/०९-१० पुनः खोलें और जाँच, परीक्षण आदि की कार्यवाही समुचित रूप से करते/ कराते हुए और पक्षकारों को सुनवाई, साक्ष्य, प्रतिपरीक्षण आदि का पर्याप्त अवसर देते हुए, इस आदेश के पूर्ववर्ती पैर ४] में लिखे जा चुके समस्त बिन्दुओं सहित प्रकरण के समस्त सुसंगत बिन्दुओं पर नए सिरे से स्पष्ट निष्कर्ष निकलते हुए बोलते स्वरूप का आदेश पारित करें. कलेक्टर अपना ऐसा आदेश उन्हें, रा मं के

इस आदेश की संसूचना के अधिकतम ६ माह के भीतर, अनिवार्य रूप से पारित करें.

कलेक्टर, रीवा को उक्त निर्देशों के साथ निगरानी स्वीकृत.
आदेश पारित.
पक्षकार और कलेक्टर, रीवा सूचित हों.
अभिलेख वापस हों.
प्रकरण समाप्त.
दा द हो.

(आशीष श्रीवास्तव)
सदस्य
राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश
ग्वालियर